B - 344
L - 25
I. Polity

संसद

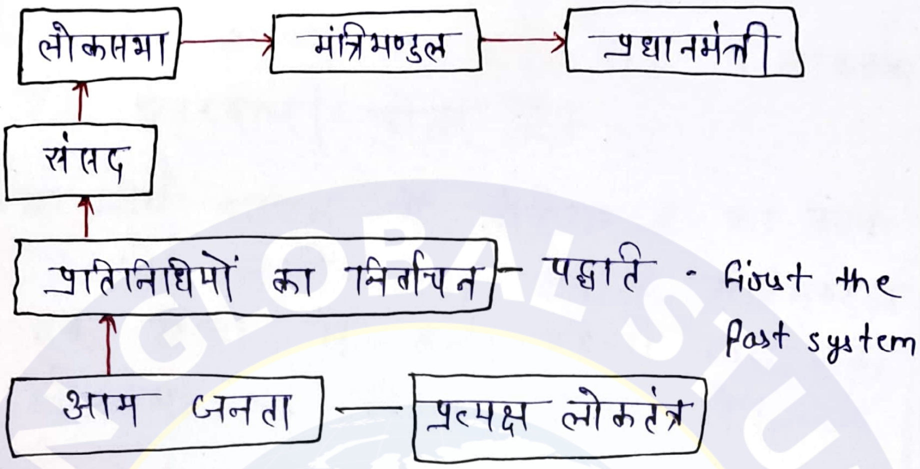

संसदीय शासन :-

- संसदीय शासन शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नही किया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने नरसिंह राव वाद में यह कहा कि संसदीय शासन भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है।
- संसदीय शासन को मंत्रिमण्डलीय शासन के रूप में भी जानते हैं।
- क्योंकि संसदीय शासन में सरकार संचालित करने / प्रशासन को संचालित करने की मूल शक्ति मंत्रिमण्डल के हाथों में होती है जो मंत्रियों का एक समूह होता है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned with OKEN Scanner

अतः संसदीय शासन में शक्तियां व्यक्ति के बजाय समूह (मंत्रिमण्डल) में निहित होती हैं।

- मंत्रिमण्डलीय शासन सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

- मंत्रिमण्डलीय शासन में मंत्रिमण्डल का कार्यकाल निश्चित नही होता क्योंकि मंत्रिमण्डल तब तक सत्ता में बनी रहेगी जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

- इसीलिए संसदीय शासन ज्यादा उत्तरदायी कहलाता है क्योंकि लोकसभा के द्वारा कभी भी मंत्रिमण्डल को परिवर्तित किया जा सकता है ठीक इसी प्रकार राज्य की विधान सभा कभी भी मंत्री मण्डल को परिवर्तित कर सकती है।

- संसदीय शासन में मंत्रिमण्डल और उसके मुखिया (प्रधानमंत्री) का कार्यकाल निश्चित नही होता इसलिए के आसान हस्तांतरण के लिए राष्ट्रपति का भी प्रावधान होता है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 75 (1))

- संसदीय शासन में उत्तरदायित्व की निम्नलिखित श्रृंखला विद्यमान होती है-

(i) प्रशासनिक पदाधिकारी (सचिव) मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता हैं।

(ii) मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

(iii) लोकसभा के सदस्य आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned with OKEN Scanner

लोकसभा भारत के विविधतापूर्ण समाज का सूक्ष्म दर्पण :-

लोकसभा

सदस्य की योग्यता

1. भारत का नागरिक हो।
2. उसकी उम्र 25 साल से अधिक हो।
3. संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण होनी चाहिए।
4. अन्य योग्यताएं संसदीय विधि द्वारा निर्धारित की जायेगी (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951)

अयोग्यता

1. लाभ के पद पर न हो।

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया हो

(iii) सक्षम न्यायालय ने विकृतचित का घोषित कर दिया हो।

(iv) विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली हो या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा हो।

(v) 52 वें संविधान संशोधन दल बदल संसदीय अधिनियम के द्वारा अन्य अयोग्यताएं निर्धारित की जायेगी।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned with OKEN Scanner

• लोकसभा की 543 सीटों को आवंटित करने में संविधान में निम्नलिखित सिद्धांत का प्रयोग किया गया है :-

(a) प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के अनुपात में समान सीटें प्राप्त होंगी।

(b.) राज्य के अंदर सभी लोकसभा सीटों को समान आकार के क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा जो जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए।

(c.) संविधान में लोकसभा की कुल संख्या 550 उल्लेखित है और उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार इन सीटों का विभाजन किया गया है, परन्तु नागालैण्ड राज्य निर्माण के बाद (1962/1963) भारत में अनेक छोटे राज्यों का निर्माण करना पड़ा और छोटे राज्य प्रतिनिधित्व से वंचित न रहे इसलिए यह संशोधन किया गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है उन्हे प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

अतः लोकसभा में भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ भारत की समुचित विभिन्नता दिखाई देती है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR
Scanned with OKEN Scanner

संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है (अनुच्छेद - 330) और महिला शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा एक तिहाई महिलाओं को भी लोकसभा में आरक्षण दिया गया है जिससे भारत में सर्व समावेशी लोकतंत्र की स्थापना हो सके।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned with OKEN Scanner